

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 90]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 124(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में क्रम संख्या 9 के सामने, सहायक कमांडेंट (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित स्तंभ 12, की मद उपषीर्षक "सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा" के अधीन (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के, साधारण ड्यूटी, क्रिपटो, रेडियो आपरेटर व रेडियो तकनीक के निरीक्षक/उप निरीक्षक, जिन्होंने प्रशिक्षण की अवधि सहित चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और चिकित्सा श्रेणी, पेप-1 में हों, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।"

[फा.सं. पी. VII-1 / 2009-कार्मिक]
षांतनु , निदेशक (पर्स)

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 679(अ), तारीख 10.08.2010 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् सा.का.नि. 924(अ), तारीख 18.11.2010 द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

G.S.R. 124(E).— In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Group “A” (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, namely : —

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Group “A” (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Central Reserve Police Force Group “A” (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, against serial number 9 relating to the post of Assistant Commandant (General Duty), in column (12), under the sub-heading “By Limited Departmental Competitive Examination”, for item (a), the following item shall be substituted, namely : —

“(a) Inspectors and Sub-Inspectors of General Duty, Crypto, Radio Operator and Radio Technical of Central Reserve Police Force who have completed four years of service including period of training and being in Medical category SHAPE-I shall be eligible to appear in the limited departmental competitive examination”.

[F.No. P.VII-1/2009-Pers]
SHANTANU, Director (Pers)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 679(E), dated, the 10th August, 2010 and subsequently issued a corrigendum *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 18th November, 2010.